

राजस्थान सरकार की गाईडलाइन
अनुसार केवल वही व्यक्ति ही अन्दर
प्रवेश करें, जिसके वैक्सीनेशन की
दोनों डोज लग चुकी हो,
अन्यथा प्रवेश वर्जित है ।

आज्ञा से,
सचिव,
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर